कम्प्यूटर-परिपत्र सं०-1415046 दिनांक 17/7/14

विधि-4(1)-अधिनियम/नियमावलीसंशोधन भाग-8(14-15) / 554 / वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर
(विधि-अनुभाग)
उत्तर प्रदेश

लखनऊ :: दिनांक : 17 ,जुलाई,2014

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर
समस्त ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक)
वाणिज्य कर , उत्तर प्रदेश

आप सभी भिज्ञ हैं कि वर्तमान में रु0 50 लाख वार्षिक टर्नोवर से अधिक टर्नोवर वाले व्यापारियों के लिए ई-रिटर्न का प्रस्तुतीकरण आवश्यक है। ऐसे व्यापारियों का चिन्हीकरण अभी भी पूर्णतया नहीं किया गया है, जिसके कारण ऐसे डीलर्स द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे रिटर्न के संबंध में विसंगति बनी हुई है।

उक्त के दृष्टिगत यह निर्देश दिए जाते हैं कि ई- रिटर्न दाखिल करने की अपरिहार्यता वाले रु0 50 लाख से अधिक वार्षिक टर्नोवर के व्यापारियों के विभागीय व्यास सेन्ट्रल साफ्टवेयर पर चिन्हींकरण की कार्यवाही प्रत्येक दशा में 31 जुलाई, 2014 तक पूर्ण कर ली जाए। इसके पश्चात उक्त परिप्रेक्ष्य की कोई भी विसंगित अथवा शिथिलता स्वीकार योग्य नहीं होगी।

उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाए।

यह पत्र कमिश्नर वाणिज्य कर के आदेश के क्रम में प्रेषित है।

17.7.14

(योगेन्द्र कुमार)
एडीशनल कमिश्नर (विधि) वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश , लखनऊ